

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,  
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION  
(INCOME-TAX)

New Delhi, 5th July, 2013

S.O. .... (E).- Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uruguay for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital was signed in India on the 8<sup>th</sup> day of September, 2011 (hereinafter referred to as the Agreement);

And whereas, the date of entry into force of the Agreement is the 21<sup>st</sup> day of June, 2013, being sixty days from the date of the later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 31 of the Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uruguay for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2014.

[Notification No. 53/2013 /500/138/2002-FTD-II

  
(K. Ramalingam)

Joint Secretary Government of India

Sec. Aiy  
L  
8/7/13

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना  
(आयकर)

नई दिल्ली, 5<sup>th</sup> जुलाई, 2013

का.आ. ....(अ).- जबकि, आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे की सरकार के बीच भारत में 8 सितंबर, 2011 को एक करार (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) पर हस्ताक्षर किये गये थे;

और जबकि, उस करार के प्रवृत्त होने की तारीख 21 जून, 2013 है, जो कि उस करार के अनुच्छेद 31 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार, करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से साठ दिन है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि भारत गणराज्य की सरकार और ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे की सरकार के बीच आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए उस करार के सभी उपबंध, जैसा कि इसके साथ संलग्न संलग्नक में दिया गया है, भारत संघ में दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 53/2013 /500/138/2002-वि.क.प्र.-II]

**क. रामालिंगम**

(क.रामालिंगम)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार